

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263 पार्ट 2/52-56/c

दिनांक : 03.01.2024

निमित्त

उप वन संरक्षक, कोटा/जोधपुर।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, बाघ परि.सरिस्का (अलवर)/

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर/

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली।

विषय :- वनरक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15 (10)/एल-10/ गोप्र/प्रमुवसं/ 7832-7944 /सी दिनांक 12.09.2023 के द्वारा बिन्दु संख्या 3(ब) में वांछित सूचना (वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2011/2013/2015 TSP/NTSP) के क्रम में आपके द्वारा दिनांक 03.10.2023 से 18.10.2023 तक इस कार्यालय में आयोजित बैठक में सूचना हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की गई।

उक्त बिन्दु संख्या 3(ब) सूचना के भाग **सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2015, NTSP** के अवलोकन/परीक्षण करने पर पाया गया है कि आपके द्वारा प्रेषित सूचना त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/विरोधाभासी है। उदाहरणार्थ :-

1. उप वन संरक्षक, कोटा/उवसं एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर/उवसं एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गई है। इस संबंध में आपको दूरभाष पर भी अवगत कराये जाने के बावजूद आपके द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय को किसी भी प्रगति से अवगत नहीं कराया गया है।
2. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, बाघ परि.सरिस्का (अलवर) ने अवगत कराया है कि 57 रिक्त पदों के विरुद्ध 57 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के उपरांत 57 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है जो कि संभव नहीं है। आपके द्वारा 57 अभ्यर्थियों के ही अंक प्रेषित किए गए हैं।
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर ने अवगत कराया है कि 10 रिक्त पदों के विरुद्ध 57 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के उपरांत 10 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। परंतु आपके द्वारा मात्र 10 अभ्यर्थियों के ही अंक प्रेषित किए गए हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्पष्ट निर्देश देने के उपरांत भी बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित कार्यालयों द्वारा सूचना आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई एवं बिन्दु संख्या 2 व 3 में उल्लेखित कार्यालयों द्वारा सूचना प्रेषित करने से पूर्व सूचनाओं का अवलोकन/परीक्षण नहीं कर केवल औपचारिकता पूरी करते हुए सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। उक्त वांछित सूचनाओं को प्रेषित करने एवं उक्त सूचनाओं की त्रुटियों को तत्काल सही करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15 (10)/एल-10/ गोप्र/प्रमुवसं/ 7832-7944 /सी दिनांक 12.09.2023 के द्वारा बिन्दु संख्या 3(ब) में वांछित सूचना **हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2015, NTSP** का प्रमाणिक दस्तावेज से गहनतापूर्वक परीक्षण कर लेवे ताकि किसी भी अभ्यर्थी के प्राप्तांकों/विवरण में कोई त्रुटि न हो एवं हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में भी कोई विरोधाभास न हो।

इस कार्यालय के पत्रांक 8899-8925/सी दिनांक 22.12.2023 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर आयोजित बैठक एवं राजकीय ई-मेल dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in में सही सूचना (**हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न दिशा-निर्देश के अनुसार**) तत्काल प्रेषित करें। आप द्वारा प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक : एफ 15(10)एल-11/गोप्र/प्रमुवसं-06263 पार्ट 2/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/कोटा।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर/रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर
दिशा-निर्देश

विषय :- वन रक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में दिशा निर्देश।

1. सूचना हार्ड-कॉपी एवं सॉफ्ट-कॉपी में सारणी **MS. Excel, Landscape** में तैयार करनी है।
 2. हिन्दी के लिए फोन्ट **DevLys 010**, साईज 14 व अंग्रेजी के लिए फोन्ट Times New Roman, साईज 14 का प्रयोग करें।
 3. कॉलम संख्या 3 में उ.व.सं..... अंकित करना है।
 4. कॉलम संख्या 4 एवं 5 में नाम से पूर्व श्री/श्रीमती/सुश्री अंकित नहीं करें।
 5. अंकों (क्रम संख्या, दिनांक आदि) के लिए अंग्रेजी फोन्ट का प्रयोग करें।
 6. कॉलम संख्या 7 एवं 8 में प्राप्तांक पूर्ण अंकों में लिखे जावे जैसाकि 78 ना कि 78.00 एवं 20 ना कि 20.00 अंकित किया जावे।
 7. कॉलम संख्या 8 में मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 20 अंक का उल्लेख करें।
 8. साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कॉलम संख्या 9 में Absent लिखा जावे एवं इस कॉलम को सॉफ्ट कॉपी में हाईलाईट (**Fill Color-Yellow**) कर दिया जावे।
 9. कॉलम संख्या 9 एवं 10 में वास्तविक अंक दशमलव सहित लिखे।
 10. कॉलम संख्या 7, 8, 9 में उल्लेखित प्राप्तांकों का योग कॉलम संख्या 10 में फार्मूला (Sum) से अंकित करें।
 11. कॉलम संख्या 11 में Yes/No अंकित करें।
 12. कॉलम संख्या 12 एवं 13 में **SC/ST/OBC/SBC/Sahariya/UR** अंकित करें।
- हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में सूचना प्रमाणिक दस्तावेजों के अनुरूप होना एवं हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में भी कोई विरोधाभास न होना सुनिश्चित करें।
- मुख्य वन संरक्षक समस्त अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना एक पैन ड्राईव में संकलित रूप से लेकर आवे।